प्रेस नोट दिनांक 09.10.19
थाना देवरनियां जनपद बरेली

दिनांक 06/10/19 की शाम को समय करीब 6.30 बजे अपनी मां श्रीमती मुजम्मिल जहॉ से अपने दोस्त से कॉपी लेने मौ0 मेला गये नवयुवक नजीब पुत्र अतीक अहमद उर्फ गन्ठा उम्र करीब 15 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में श्री लईक अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद निवासी मौहल्ला बाजार कस्बा रिछा थाना देवरनियां जिला बरेली की तहरीरी सूचना पर पंजीकृत मु0अ0स0 358/19 धारा 302 भादवि की विवेचना में अपचारी किशोरों द्वारा मृतक से उसका नया मोबाइल छिनने के लिये लोहे का सब्बल से मारकर व रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की घटना स्वीकार की तथा अपचारी किशोरों की निशादेही पर लूटा गया मोबाइल REALME नीला रंग बरामद तथा हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे का सब्बल व रस्सी तथा अपचारी किशोरों के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल UP 22 B 8732 स्पलेन्डर रंग काला तथा घटना के समय पहने रक्त के छीटे लगे कपडें बरामद हुये। घटना का अनावरण कर अभियोग में धारा 34/394/411 भादवि की वृद्धि की गयी। अपचारी किशोरों द्वारा एन्डरॉयड मोबाइल की चाहत में अपने दोस्त नजीव का नया मोबाइल लूटने के उद्देश्य से उसकी हत्या की गयी। अपचारी किशोरों को किशोर न्यायालय भेजा जा रहा है।

बरामदगी:-

1. एक अदद मोबाईल Realme नीला रंग।
2. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे का सब्बल, रस्सी व एक अदद मोटर साईकिल नम्बर UP 22 B 8732।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. एसएचओ श्री राजकुमार सिंह थाना देवरनियां जनपद बरेली
2. एसआई श्री मोदी सिंह थाना देवरनियां जनपद बरेली
3. का0 1701 कपिल कुमार थाना देवरनियां जनपद बरेली
4. का0 05 सुनील कुमार थाना देवरनियां जनपद बरेली